ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

लघु उद्योग सेवा संस्थानो का औद्योगिक विकास में योगदान

[1]डॉ. हेमेन्द्र गर्ग , [2]डॉ. सौम्या शर्मा

[1](शोधार्थी) आर. बी. एस. कॉलेज, आगरा, उ. प्र., भारत

[2](एसोसिएट प्रोफेसर), अर्थशास्त्र विभाग, आर. बी. एस. कॉलेज, आगरा, उ. प्र., भारत

सार

लघु उद्योग (छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ /small scale industries) वे इकाइयां हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती हैं। इन इकाइयों मे श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगो से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबन्ध, आगतों एवं निर्गतो के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं- उत्पादन में यंत्रीकरण की मात्रा, मजदूरी पर लगाये गये श्रमिकों एवं परिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूंजी इत्यादि।लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार उद्योगों में किया है- 1. सूक्ष्म उद्योग 2. लघु उद्योग 3. मध्यम उद्योग।मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदण्डो से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक नही होता है। लघु उद्योग वह है जहाँ प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पॉच करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रूपये से कम होता हो।सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग, जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रूपये से अधिक नही है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रूपये से कम न हो।भारतीय आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विर्निमाण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप के महत्वपूर्ण भाग है।भाषा की दृष्टि से यह एक आम प्रवृति रही है कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा लघु पैमाने के उद्योगों का आशय एक साथ ही समान रूप से लगाया जाता है जबकि इनमें आधारभूत अन्तर है। कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः हाथ द्वारा किया जाता है। परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नही होते हैं।

परिचय

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार रूपये से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है। राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग उद्योग इन इकाइयों की स्थापना संचालन आदि में तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते है।[1]

1. लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है क्योंकि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त पूंजी की इकाई अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम रखती है।

2. दूसरा मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना है।

3. लघु उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विक्रेन्द्रीयकरण सम्भव है। ससे देश का आर्थिक विकास प्रौद्योगिक सन्तुलन एवं क्षेत्रीय प्रौद्योगिक विषमता को कम करते हुए सम्भव होता है।

4. श्रम प्रधान तकनीक के कारण श्रमिकों की बहुतायत रहती है। अतः आवश्यक है कि वे औद्योगिक शांति की स्थापना करें।

5. लघु उद्योगों के माध्यम से देश की सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित रहती है। अधिकाशतः लधु उद्योगों द्वारा कलात्मक एवं परम्परागत वस्तुओं का निमार्ण किया जाता है एवं अधिकांशतः ये उद्योग श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित होते है जिससे उद्योगों में पारस्परिक सद्भावना सहकारिता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना को बल मिलता है।[2]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

6. लघु उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है कि वे प्राकृतिक साधानों का अनुकूलतम उपयोग करें।

7. मानवीय मूल्यों की दृष्टि से 'सादा जीवन उच्च विचार' की भावना का सृजन करें।

8. व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि ये अत्याधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करें।

9. आम जनता को श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य है।

10. भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इनका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन करना है।[3]

कोई भी उद्योग जिसमे 10 लाख से ज्यादा व एक करोड़ से कम लागत लगी हो वह लघु उद्योग कहलायेगा। ऐसे ही कुछ लघु उद्योगों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं।

- घर में इस्तेमाल किया जाने वाला कूलर बनाना
- एल्यूमीनियम से बने हुए सामग्री बनाना
- हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाला स्ट्रेचर बनाना
- करंट मापने वाला मीटर या वोल्ट मीटर बनाना
- गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट बनाना
- कपड़े या चमडे का बैग बनाना
- कांटेदार तार बनाना
- टोकरी बनाना इत्यादि[4]

इनके अलावा भी बहुत सारे लघु उद्योग के उदहारण हो सकते हैं। इसमें एक उद्योग लघु है या नहीं इसकी जानकारी मुख्यतः उसकी लागत से होती है।

विचार-विमर्श

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी (Small Industries Development Bank of India) भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।[5] इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। सिडबी इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के समन्वय का भी कार्य करता है। सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग के तहत काम करता है।अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। मोहम्मद मुस्तफा भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं।सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसकी स्थापना संबंधी अधिकार-पत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में सिडबी की परिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को संवर्द्धन व वित्तपोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है।[6]सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एक है; अन्य तीन आयात-निर्यात बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक हैं। ऋण प्रदायगी द्वारा और पुनर्वित्त परिचालन गतिविधियों के माध्यम से ये वित्तीय बाजारों में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है [7]और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है। इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है।एमएसई क्षेत्र में धन की आपूर्ति को बढ़ाने और उसे समर्थन करने के लिए यह एक पुनर्वित्त कार्यक्रम संचालित करता है जिसे संस्थागत वित्त कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, सिडबी, बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सावधि ऋण सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त परिचालन के अलावा, सिडबी सीधे भी एमएसएमई को ऋण देता है।भारत सरकार सिडबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसके पास 20.85% शेयर हैं। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक(15.65%) और भारतीय जीवन बीमा निगम(13.33%) आते हैं।लन्दन की 'दि बैंकर' की हालिया रैंकिंग में सिडबी ने विश्व के 30 सर्वोच्च विकास बैंकों में अपनी जगह बनाए रखी। दि बैंकर, लंदन के मई 2001 अंक के अनुसार पूँजी व आस्तियों की दृष्टि से सिडबी का स्थान 25वाँ था।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

एमएसएमई क्षेत्र में गैर-वित्तीय हस्तक्षेप के एक भाग के रूप में, सिडबी ने अतीत में भी विभिन्न उपाय किए हैं । हाल ही में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने "क्रिसिडेक्स" और "एमएसएमई पल्स" का प्रारम्भ किया है।सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए भारत के पहले सेंटिमेंट सूचकांक क्रिसिडेक्स को क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो 8 मापदण्डों के प्रसार सूचकांक पर आधारित है और यह 0 (अत्यंत नकारात्मक) से 200 (अत्यंत सकारात्मक) के पैमाने पर एमएसई व्यापार सेंटिमेंट को मापता है। क्रिसिडेक्स का प्रमुख लाभ यह है कि इसकी रीडिंग संभावित विपरीत परिस्थितियों और उत्पादन चक्रों के बदलावों को अंकित करेगी और इस प्रकार यह बाजार क्षमता के सुधार में मदद करेगी। निर्यातकों और आयातकों के सेंटिमेंट को समझकर[8], यह विदेशी व्यापार पर कार्रवाई योग्य संकेतक भी प्रदान करेगा।देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की है। यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।सिडबी ने एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए 'उद्यमी मित्र' पोर्टल लॉन्च किया है। उद्यमी इस पोर्टल के माध्यम से पसंदीदा बैंकों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी भी बैंक शाखा में जाए बिना उद्यमी, पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं । वे 1 लाख से अधिक बैंक शाखाओं में से किसी को चुन सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अनेक ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी है। [9]पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई इकाईयां वित्त प्राप्त करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता भी मांग सकती हैं। असेवित और अल्पसेवित एमएसएमई तक उद्यमी मित्र पोर्टल को पहुंचाने के लिए सिडबी ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज (सीएससीईजीएस) के साथ एक अनुबंध भी किया है। सीएससीईजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (मीटवाई) मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) है जो देश के गांवों को विभिन्न डिजिटल गठबंधन सेवाओं के कनेक्ट पॉइंट के रूप में कार्य करता है।सिडबी ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को लोगों को अपनाने को प्रेरित करने के लिए 'स्वावलंबन' एवं 'बेचैन सपनों को पंख' नामक देशव्यापी मुहिम चलाया है ताकि देश में उद्यमों को बढ़ावा मिले और लोग रोजगार मांगने की बजाय रोजगार उत्पन्न करने के लियर उन्मुख होवें।[10]

सिडबी ने संबंधित गतिविधियों के लिए कई अन्य संस्थाओं की स्थापना की है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) - एमएसएमई को उद्यम पूंजी (वीसी) सहायता प्रदान करने के लिए;

• माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) - देश में वित्त वंचित सूक्ष्म उद्यमों के निधीयन हेतु;

• एमएसएमई को प्राप्तियों की शीघ्र उगाही में समर्थ बनाने के लिए रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल);

• स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड (एसएमईआरए) - एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग के लिए, जिसका नाम बदलकर ऐक्रिट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड रखा गया।;

• इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) - प्रौद्योगिकी सलाहकार और परामर्श सेवाओं के लिए और

• एमएसएमई क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्ति (एनपीए) के त्वरित समाधान के लिए इंडिया एसएमई असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)]।[11]

सिडबी एमएसएमई के विकास से जुड़ी भारत सरकार की पहलों का समर्थन करता है व कुछ योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। सिडबी के कारोबार के दायरे में लघु उद्योग इकाइयाँ समाहित हैं, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती हैं। लघु एवं मध्यम उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें प्लांट व मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो। ऐसी इकाइयों की संख्या लगभग 31 लाख है जिनमें 1.72 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है और भारत के निर्यात में उनका हिस्सा 36 प्रतिशत तथा औद्योगिक विनिर्माण में 40 प्रतिशत है।[12] साथ ही, सिडबी की सहायता परिवहन, स्वास्थ्य-सेवाओं और पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ ऐसे प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्तियों को भी उपलब्ध है, जो लघु आकार के प्रोफेशनल उद्यम स्थापित करते हैं।

परिणाम

भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नीति-निर्माण, संवर्ध, विकास एवं संरक्षण के लिये केन्द्रीय (नोडल) मंत्रालय है। इसे ९ मई २००७ को कृषि एवं ग्रामीण एवं उद्योग मंत्रालय तथा लघु-उद्योग मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पचास वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं[13], जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास, अधिनियम 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की तथा इनके साथ संबंधी या अनुषंगी मामलों प्रतिस्पर्द्धा और प्रोत्साहन एवं विकास की सुविधा प्रदान करने हेतु लागू किया गया है। इसके लिए इसमें विशिष्टि कोशों की स्थापना, विशेष योजनाओं / कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील ऋण नीतियां और प्रथाएं, इन उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के प्रापण में सरकार की प्राथमिकता, इनकी समस्याओं के शमन के लिए और अधिक प्रभावी प्रक्रियाविधियां अपनाना आदि शामिल है। यह उद्यम की संकल्पना को मान्यता देने के लिए अब तक का पहला कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण (किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं का निर्माण / उत्पादन दोनों शामिल हैं) और सेवा (जो सेवाएं प्रदान करने / देने में संलग्न हैं) इकाइयां शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत उद्यम के तीन स्तर सूक्ष्म, लघु और मध्यम को पहली बार परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर सभी पणधारियों के वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व सहित राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्शी प्रक्रिया प्रदान की गई है जो विशेष रूप से सलाहकारी कार्यों की व्यापक परास के साथ इन उद्यमों के लिए उपयोगी है।[14] लघु उद्योग दिवस (अंग्रेज़ी: Small Industry Day) प्रत्येक वर्ष '30 अगस्त' को मनाया जाता है।[1] यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोज़गारों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास के लिए लघु उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत के समग्र आर्थिक विकास में कार्यनीति महत्त्व को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। तदनुसार लघु उद्योगों के लिए सरकार से नीति समर्थन की प्रवृत्ति लघु उद्यम वर्ग के विकास हेतु सहायक और अनुकूल रही है। सरकार ने समय-समय पर लघु तथा कुटीर उद्योगों की परिभाषा की है। लघु उद्योग वे उद्योग हैं, जो छोटे पैमाने पर किये जाते हैं तथा सामान्य रूप से मज़दूरों व श्रमिकों की सहायता से मुख्य धन्धे के रूप में चलाए जाते हैं। वे उद्योग जिनमें 10 से 50 लोग मज़दूरी के बदले में काम करते हों, लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लघु उद्योग एक औद्योगिक उपक्रम हैं, जिसमें निवेश संयंत्र एवं मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है। यह निवेश सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर बदलता रहता है। लघु उद्योग में माल बाहर से मंगाया जाता है और तकनीकी कुशलता को भी बाहर से प्राप्त किया जा सकता है।[15]

लघु उद्योग

लघु उद्योग इकाई ऐसा औद्योगिक उपक्रम है, जहाँ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो, किन्तु कुछ मद, जैसे- हौजरी, हस्त-औजार, दवाइयों व औषधि, लेखन सामग्री मदें और खेलकूद का सामान आदि में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये तक थी। लघु उद्योग श्रेणी को नया नाम लघु उद्यम दिया गया है।

मझौले उद्यम

ऐसी इकाई, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश लघु उद्योग की सीमा से अधिक किंतु 10 करोड़ रुपये तक हो, मझौला उद्यम कहा जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान

लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत के लघु व कुटीर उद्योगों में उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होता रहा है। यद्यपि ब्रिटिश शासन में अन्य भारतीय उद्योगों के समान इस क्षेत्र का भी भारी ह्रास हुआ, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात् इसका अत्यधिक तीव्र गति से विकास हुआ है।[16]

निष्कर्ष

'लघु उद्योग मंत्रालय' भारत में लघु उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। लघु उद्योगों का संवर्धन करने के लिए मंत्रालय नीतियाँ बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है व उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। इसकी सहायता विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम करते हैं, जैसे-

- 'लघु उद्योग विकास संगठन' (एसआईडीओ) अपनी नीति का निर्माण करने और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने, कार्यक्रम, परियोजना, योजनाएँ बनाने में सरकार को सहायता करने वाला शीर्ष निकाय है।
- 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड' (एनएसआईसी) की स्थापना 'भारत सरकार' द्वारा देश में लघु उद्योगों का संवर्धन, सहायता और पोषण करने की दृष्टि से की गई थी, जिसका संकेन्द्रण उनके कार्यों के वाणिज्यिक पहलुओं पर था।
- मंत्रालय ने तीन राष्ट्रीय उद्यम विकास संस्थानों की स्थापना की है, जो प्रशिक्षण केन्द्र, उपक्रम अनुसंधान और लघु उद्योग के क्षेत्र में उद्यम विकास के लिए प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं में लगे हुए हैं। ये इस प्रकार हैं-

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

1. हैदराबाद में 'राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान' (एनआईएसआईईटी)
2. नोएडा में 'राष्ट्रीय उद्यम एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान' (एनआईईएसबीयूडी)
3. गुवाहाटी में 'भारतीय उद्यम संस्थान' (आईआईई)[16]

संदर्भ

1) लघु उद्योग की सम्पुर्ण जानकारी एवं व्यवसाय के प्रकार प्रोजेक्ट रिपोर्ट
2) भारत में सबसे सफल बिजनेस आइडिया (लघु एवं कुटीर उद्योग)
3) लघु उद्योग में बानाये जा सकने वाले सामानों की सूची
4) ग्रामीणों की जीवन रेखा : लघु एवं कुटीर उद्योग
5) लघु उद्योग दिवस
6) SME toolkit India - अपना उद्योग स्थापित करने एवं उसे चलाने से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी (हिन्दी में)
7) कैसे लगाएँ लघु उद्योग? (गूगल पुस्तक , लेखक - राजेश कुमार व्यास)
8) लघु उद्योग निर्देशिका (गूगल पुस्तक ; लेखक - अवधेश चतुर्वेदी)
9) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आयुक्त (भारत सरकार)
10) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (SIDO)
11) टूल रूम्स के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन
12) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तकनीकी विकास के लिए नई और नवाचार योजनाएं
13) नवप्रवर्तन: भारतीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का बदलता परिदृश्य
14) घरेलू कुटीर उद्योग (भारत में किए जाने वाले कुटीर उद्योग)
15) डिजाइन क्लीनिक योजना – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
16) https://web.archive.org/web/20090410201029/http://indiacode.nic.in/rspaging.asp?tfnm=200627

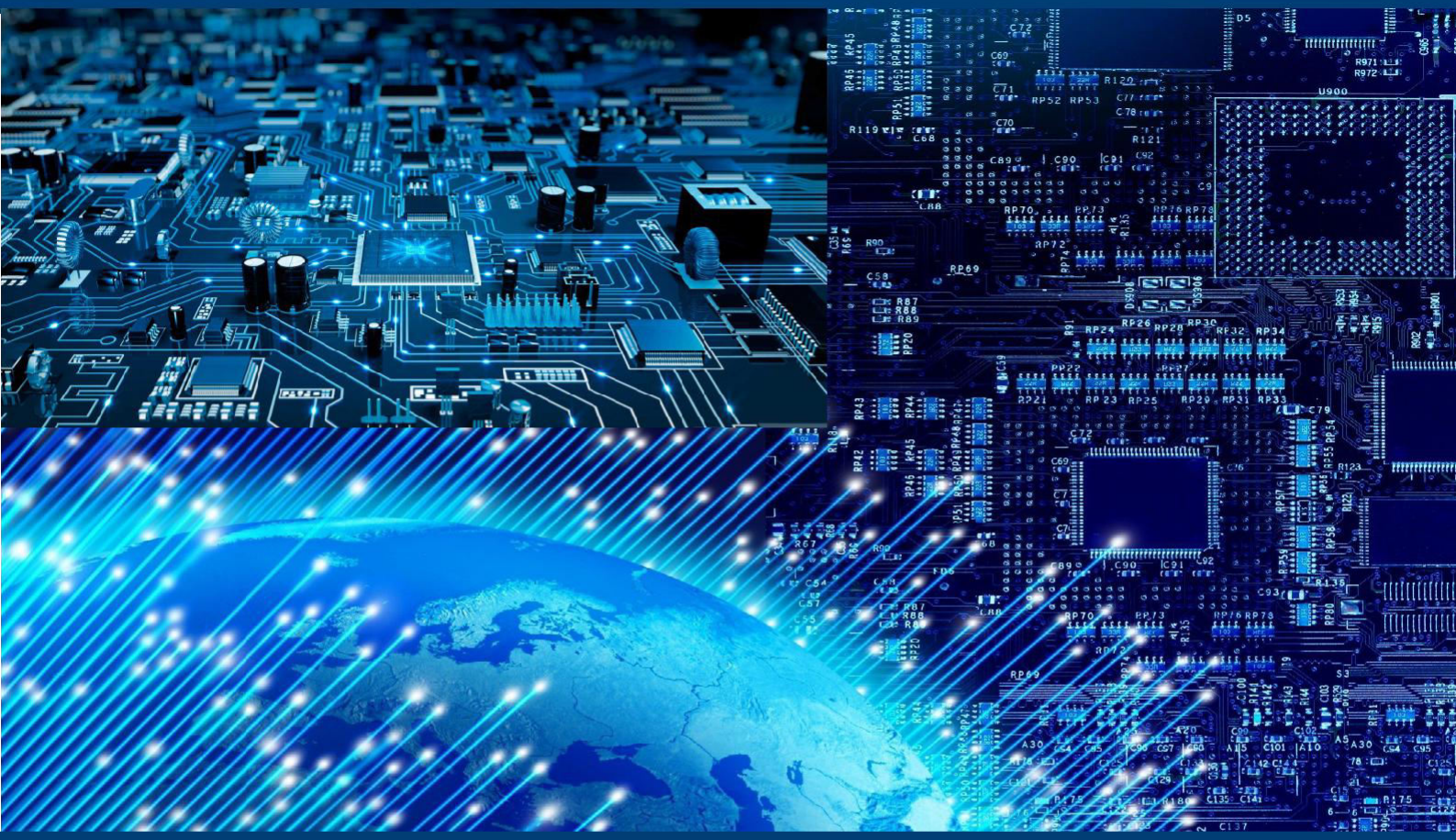

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |